FORM No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......घिसी बाई......बनाम......सरकार......

किस्म मुकदमा......136......नं. ......136......सन्......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/25	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में प्रार्थीया घिसीबाई की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम डोल्या पटवार हल्का डोल्या में स्थित भूमि खाता संख्या 127, 190 में प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पत्नि स्व0 रामकरण एवं माता का नाम सीताबाई पुत्री रामकरण दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में घीसीबाई पुत्री रामकरण एवं माता का नाम सीताबाई पत्नी स्व0 रामकरण दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही दर्ज किये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा घीसीबाई पत्नी रामकरण एवं सीताबाई पुत्री रामकरण का राजस्व रिकॉर्ड में नाम घीसीबाई पुत्री रामकरण एवं सीताबाई पत्नी स्व0 रामकरण किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम डोल्या पटवार हल्का डोल्या में स्थित भूमि खाता संख्या 127, 190 में घीसीबाई पत्नी रामकरण एवं सीताबाई पुत्री रामकरण के स्थान पर घीसीबाई पुत्री रामकरण एवं सीताबाई पत्नी स्व0 रामकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में सुनाया गया। (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा	